न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

कानाराम उर्फ कन्हैयालाल बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 439 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
10/10/25	वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण दुरूस्ती के संबंध में है। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा जावें। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर ईन्तजार तथ्यात्मक रिपोर्ट होकर पत्रावली नियत तिथि 17.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
17/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भूअ/25/3604 दिनांक 16.10.25 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
31/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3604 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम सेवद बड़ी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 144 व 401 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि कन्हैयालाल पुत्र चिमनाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि कानाराम पुत्र चिमनाराम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि कानाराम पुत्र चिमनाराम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि कन्हैयालाल पुत्र चिमनाराम के स्थान पर उक्त प्रविष्टि कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र चिमनाराम दुरूस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवद बड़ी पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 144 व 401 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 15:56:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

कानाराम उर्फ कन्हैयालाल बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 91. धारा 136 LR Act, 1956 मु.नं. 439 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	नाम की प्रविष्टि कन्हैयालाल पुत्र चिमनाराम के स्थान पर उक्त प्रविष्टि कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र चिमनाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 16:56:54 IST
Reason: SelfAttested